XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारी सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 07.12.2011 | | |

# न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

## राजस्व अपील वाद संख्या–58/03

## धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

बल्ली हेम्ब्रम, पिता–स्व0 मुंशी हेम्ब्रम, साकिन–कजरा टोला सबैया, थाना–मीरगंज, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदक

**बनाम्**

भागवत ठाकुर, पिता–रामसुन्दर ठाकुर, साकिन–रंगपुरा, थाना–मीरगंज, जिला–पूर्णियाँ.....

विपक्षी

## आदेश

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या– 25/97 में दिनांक 27.02.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक मौजा–कजरा, खाता संख्या–389, खेसरा संख्या–68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, रकवा 3.91 एकड़ एवं मौजा–रंगपुरा, थाना नं0–131, खाता संख्या–842, खेसरा संख्या–1336, रकवा–1.61 एकड़, कुल–5.52 एकड़ जमीन पर धारा–48 E B.T. Act अन्तर्गत बटाई हक के लिये भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर किया था। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा वाद को समझौता बोर्ड में भेजा गया। अंचलाधिकारी, धमदाहा की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा समझौता का प्रयास विफल होने पर वाद को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर सुना गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत गवाहों का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। बाद में विपक्षी के अनुरोध पर पुनः गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया। दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद वाद को आदेश हेतु रखा गया। किन्तु दिनांक 02.01.2003 तक आदेश पारित नहीं हुआ। पुनः वाद को दिनांक 16.01.2003 को आदेश के लिये रखा गया, जबकि आदेश दिनांक 27.02.2003 को पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं फसल बंटवारा की रसीद, पानी पटवन की रसीद को नजरअन्दाज करते हुए आवेदक के बटाई हक को खारिज कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर अपने स्तर से वाद की सुनवाई कर आवेदक को उपरोक्त जमीन का बटाईदार घोषित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद सर्वप्रथम आवश्यक पक्षकार के अभाव में ही खारिज करने योग्य है। प्रश्नगत भूमि का कायमी हक विपक्षी के पिता के नाम से कायम है तथा सिकमी दखलकार काशी हाँसदा के नाम कायम

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

था। सिकमीदार काशी हाँसदा के विरूद्ध रेन्ट सूट नं0–284/63 दायर हुआ था, जिसमें पारित आदेशानुसार जमीन न्यायालय द्वारा नीलाम हुआ तथा नीलामी में प्रश्नगत जमीन दिनांक 12.11.1966 को रामसुन्दर ठाकुर के द्वारा खरीद किया गया। इस प्रकार सिकमीदार का हक समाप्त हो गया। प्रश्नगत जमीन का पारिवारिक बंटवारा स्वत्व वाद संख्या–76/66 के द्वारा हुआ तथा प्रश्नगत जमीन के खाता संख्या–843, खेसरा संख्या–1366, रकवा–1.61 एकड़ जमीन मसोमात गायत्री देवी के हिस्से में दिया गया और वह दखलकार होकर चली आ रही है। किन्तु आवेदक ने उक्त खेसरा को खाता संख्या–842 में दर्ज कर वाद दायर किया है। काशी हाँसदा वर्ष 1977 में निःसंतान स्वर्गीय हुए और आवेदक अपने को काशी हाँसदा का उत्तराधिकारी बताकर वाद दायर किया है। निम्न न्यायालय में भी आवेदक के गवाह ने आवेदक द्वारा 30 वर्ष से खेती करने की बात कहा है और आवेदक अपना उम्र 35 वर्ष बतलाया है। इस प्रकार मात्र 05 वर्ष की आयु में ही आवेदक बटाईदार था। उल्लेखनीय है कि भू–हदबन्दी वाद संख्या–593/73–74 में प्रश्नगत जमीन विपक्षी के पिता को देय

20/82–83

इकाई में सम्मिलित है। स्पष्ट है कि आवेदक जबरदस्ती जमीन हड़पने के उद्देश्य से यह वाद प्रारम्भ किया है। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर एवं सुनवाई कर इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूव निर्धारित तिथि दिनांक 19.08.2011 को सुनवाई की गयी। विपक्षी अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी लगातार कई तिथियों में अनुस्थित रहे। इसको देखते हुए दिनांक 25.07.2011 को विपक्षी को सुनवाई के दिन उपस्थित रहने का अंतिम मौका इस न्यायालय द्वारा दिया गया। इसके बाबजूद भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि समझौता परिषद् के द्वारा समझौता हेतु किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक कि गवाहों का बयान, फसल बंटवाराकी रसीद एवं पानी पटवन की की रसीद को नजरअन्दाज करते हुए उनके बटाई हक को खारिज किया गया, जो आधारहीन है। इस आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पुनः दिनांक 07.10.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के पश्चात स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपीलकर्त्ता के आवेदन पर सहमत होते हुए इस वाद को पुनः जाँच/सुनवाई कर नियमानुसार निष्पादित करने का निदेश निम्न न्यायालय को दिया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ